कार्यालय दुर्ग - जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी

कक्ष क्र. 48 कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जी.ई.रोड सुपेला भिलाई

E-mail- dbcitybus@gmail.com

नियम शर्तें

विषय :- **77 MLD प्लांट से निकलने वाले Waste Water का Re - circulation में उपयोग हेतु पाइप लाइन एवं पंप स्थापना कार्य |**

1. निविदाकार के पास किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / पब्लिक सेक्टर यूनिट / नगरीय निकाय में 100 मिमी. या उससे अधिक व्यास के कम से कम 700 मीटर लम्बाई के DI पाईप लाइन कार्य का सफलतापूर्वक Testing सहित अनुभव होना चाहिए |
2. अनुभव के सम्बन्ध में कार्यपालन अभियंन्ता/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के समकक्ष या उच्च पद धारण करने वाले अधिकारी से प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा | अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने की स्थिति में निविदा अमान्य की जावेगी |
3. निविदाकार द्वारा जीवित PWD ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
4. निविदा में भाग लेने वाले ईच्छुक एजेंसी कार्य के लिए रू 100.00 का स्टाम्प एफिडेविट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. निविदिाकार को विगत 03 वर्ष का ITR प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा।
7. पाईप लाईन कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है | प्रमाण पत्र संलग्न (DI पाइप)
8. सभी तरह के मैकेनिकल / इलेक्ट्रीकल्स उपकरण जैसे De-watering Pump, Hydraw, J.C.V. Pipe & Nut-bolt, Concrete Cutter machine, Welding Machine. Packing, Labour, Gas Cutter Safty उपकरण, बैरिकेट, Safty Ribben. Tools & Tackels इत्यादि सभी की व्यवस्था समयानुसार करने की समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी। इसके लिए कोई भी पृथक से भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. पाईप लाईन बिछाने हेतु खोदे गये गढ्ढे/नाली/ स्थान को पाईप लाईन बिछाने के उपरांत Refill करना अनिवार्य होगा।
10. निविदाकार समस्त कर सहित निविदा दर प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत निविदा दर से अतिरिक्त किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा न ही निविदाकार अन्य किसी राशि के भुगतान की मांग कर सकेगा ।
11. यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर पदेन अध्यक्ष दुर्ग जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. पाईप लाईन बिछाने के कार्य के दौरान सम्पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
13. निविदाकार को निविदा में दरे जीएसटी छोड़कर देनी होगी | एवं संलग्न छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक GEN COR.35/306/2026UAD दिनांक 20/05/2026 अनुसार जीएसटी का भुगतान पृथक से किया जावेगा |